

# कार्यालय नगर पालिक निगम, रतलाम(मोप्र०) 457001

01 कालेज रोड रतलाम दूरभाष 07412-270555

Email- commratlam@mpurban.gov.in

फैक्स नं. 07412-270556

Website- www.rmcratlam.in

क्रमांक ३०३ / साठप्र० / 2022

दिनांक 25-2-2022

## // बैठक कार्यवाही विवरण //

दिनांक 25-2-2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

- 1— श्री विकास सोलंकी, उपायुक्त
- 2— श्री मो० हनीफ शेख, कार्यपालन यंत्री
- 3— श्री एम०के० जैन, प्र०सहायक यंत्री
- 4— श्री बृजेश कुशवाह, उपयंत्री
- 5— श्री मनीष तिवारी, उपयंत्री,
- 6— श्री सुहास पण्डित, उपयंत्री
- 7— श्री भैयालाल चौधरी, उपयंत्री
- 8— श्री ए०पी०सिंह, जोन प्रभारी-३,
- 9— श्री धर्मेन्द्र दोगाया, उद्यान पर्यवेक्षक जोन प्र० -२
- 10— श्री किरण चौहान, जोन प्रभारी जोन प्रभारी -१
- 11— श्री विनयसिंह चौहान, जोन प्रभारी, जोन प्रभारी -४
- 12— श्री कोमलसिंह चौहान स०रा०नि०
- 13— श्री अनिल खरे, सहा०वर्ग-३
- 14— श्री गोपाल झालिवाल, सहा०वर्ग-२
- 15— श्री विजय कपूर, स०रा०नि०
- 16— श्री प्रदीप उपाध्याय, स०रा०नि
- 17— श्री इलियास मन्सूरी, स०रा०नि०
- 18— श्री एहसान खान, स०रा०नि
- 19— श्री महेश व्यास, स०रा०नि
- 20— श्री विष्णु कुमारवत स०रा०नि०
- 21— श्री दिनेश राठौर, सहा०वर्ग-३
- 22— श्री हरेश जोशी, सहा०वर्ग-३
- 23— श्री जितेन्द्र सिसोदिया,
- 24— श्री सोरभ काला,
- 25— श्री राकेश पाण्डे,

बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अन्तर्गत सौंपे गये दायित्वों, किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई तथा इस विषय में चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

- 1— शहर के मुख्य मार्गों पर सालिड वेस्ट पाया जा रहा है, नालियों में भी सुखा/गीला कचरा पाया जा रहा है, सुखा/गीला कचरा नालियों एवं सड़कों पर नहीं पाया जावे एवं साफ रहे, दोनों शिफ्ट में कर्मचारी कार्य करते पाये जावे। शहर के फोरलेन, डिवाईडर के दोनों तरफ तथा फुटपाथ के दोनों ओर एकत्रित कचरा हटाया जावे, इसी प्रकार व्यावसायिक क्षेत्रों में भी सफाई कार्य किया जावे।

(कार्यवाही- प्र०स्वास्थ्य अधिकारी, चारों जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी एवं वार्ड हेतु नियोजित कर्मचारी)

2— नगर के विभिन्न क्षेत्रों में रिथत औषधी पार्क के रख-रखाव के लिये नियमित रूप से सिंचाई की जाने हेतु रागक्ष में दिये निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्था नियत समयावधि दिनांक 28-2-2022 तक पूर्ण कर ली जावे, नियत रागयावधि में कार्य अपूर्ण पाया जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी ।

(कार्यवाही— प्र०कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय, उपयंत्री जलप्रदाय, स्वास्थ्य विभाग के चारों जोन प्रभारी, उद्यान प्रभारी एवं उद्यान पर्यवेक्षक)

3— सालिड वेस्ट के निपटान हेतु 1 ट्रेक्टर-द्राली 4 श्रमिक तगारी-फावड़ा के साथ लगाये गये हैं उक्त श्रमिक शहर में ऐसे समस्त स्थान मुख्य रूप से शहर की प्रमुख सड़कों, एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में जहां सालिड वेस्ट (रेत, गिट्टी, पत्थर आदि) पाया जावे उसे तत्काल उठावे । इसी प्रकार उद्यान शाखा भी फूटपाथ, डिवाईडर आदि स्थानों पर पाई जाने वाली सूखीघांस, पत्तियां, झाड़िया आदि को हटाकर ऐसे स्थानों को बिलकूल साफ करें । उपरोक्तानुसार कार्यवाही निरन्तर चलती रहे ।

(कार्यवाही— प्र०कार्यपालन यंत्री कर्मशाला, एवं लोक निर्माण विभाग, श्री बृजेश कुशवाह, श्री मनीष तिवारी, उपयंत्री, उद्यान प्रभारी एवं उद्यान पर्यवेक्षक)

4— सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिये चयनित स्थानों पर दिनांक 24-2-2022 से कार्य प्रारंभ किया गया है, इसे निरन्तर रूप से समक्ष में दिये गये निर्देशानुसार पूर्ण कराया जावे ।

(कार्यवाही श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मोहनीफ शेख, प्र०कार्यपालन यंत्री एवं क्षेत्र से संबंधित उपयंत्री)

5— ट्रिटेट पानी के पुर्नउपयोग के संबंध में चर्चा के दौरान दिये गये निर्देश अनुसार आम सूचना जारी करे, तथा इस संबंध में अनाउंसमेन्ट भी करया जावे, साथ हीउपयोग में लिये गये पानी के संबंध में श्री भैयालल चौधरी एवं श्री सुहास पण्डित उपयंत्री जलप्रदाय विभाग जानकारी प्रस्तुत करेंगे ।

(कार्यवाही श्री मोहनीफ शेख, प्र०कार्यपालन यंत्री, श्री सुहास पण्डित, श्री भैयालल चौधरी उपयंत्री)

6— प्लास्टिक प्रतिबंध — प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में दिये गये लक्ष्य अनुसार निरन्तर स्पाट फाईन किया जावे, एवं समक्ष में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करें ।

(कार्यवाही, प्र०स्वास्थ्य अधिकारी, चारों जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी एवं स्पाट फाईन टीम)

7— जीन क्षेत्रों में अभी भी जी०वी०पी है, उन्हे बन्द किये जाने के संबंध में नियत समयावधि में कार्य पूर्ण किया जावे शहर में किसी भी स्थान पर जी०वी०पी० नहीं होना चाहिये, आवश्यकतानुसार द्राली की व्यवस्था जोन प्रभारी द्वारा मांग की जाने पर प्र०कार्यपालन यंत्री कर्मशाला विभाग करें । नियत समयावधि पश्चात जिस क्षेत्र में जी०वी०पी० पाया जावेगा उस क्षेत्र के जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी एवं वार्ड हेतु नियुक्त पर्यवेक्षण अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी एवं 7-7 दिन का वेतन काटा जावेगा ।

(कार्यवाही— प्र०स्वास्थ्य अधिकारी, चारों जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी एवं वार्ड हेतु नियोजित कर्मचारी)

8— जी०पी०एस० सिस्टम आज ही प्रारम्भ किया गया है, इसे निरन्तर चालु रखे उक्त कार्य में लापरवाही बरतने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी ।

(कार्यवाही श्री मोहनीफ शेख, कार्यपालन यंत्री, श्री सौरभ काला)

9— खुले में शौच/पेशाब करने वाले के विरुद्ध स्पाट फाईन एवं वैधानिक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही रोशल मिडिया पर प्रचारित करें, खुले में गल/गूत्र त्याग पाया जाने पर उस क्षेत्र के जोन प्रभारी, वार्ड दारोग तथा वार्ड हेतु नियुक्त पर्यवेक्षणकर्ता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी तथा 7-7- दिन का वेतन काटा जावेगा । यूरीनल हेतु शहर में स्थान चयन करे, वहां 20-25 अरक्षायी यूरिनल स्थापित करें ।

(कार्यवाही, श्री सुरेश व्यास, प्र०कार्यपालन यंत्री एवं चारों जोन प्रभारी, वार्ड हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी एवं वार्ड प्रभारी)

10— खाली प्लाटो पर कचरा फैलाने वालों को नोटिस जारी किये गये हैं, उन्हे तामिल करावे, समयावधि पश्चात फाईन वसूला जावे, जोन प्रभारी अपने—अपने जोन के 10-10 खाली प्लाट जिन पर कचरा फैला है उनके नोटिस जारी कर तामिल कराए एवं तत्संबंधी समयावधि समाप्ति के पश्चात फाईन भी वसूल करें ।

(कार्यवाही—प्र०स्वास्थ्य अधिकारी चारों जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी )

11— सी०टी०/पी०टी० का जोन प्रभारी एवं नोडल अधिकारी नियमित रूप से निरीक्षण करते रहे, तथा कहीं कोई कमी हो तो संबंधित विभाग प्रमुख/उपयंत्री को अवगत कराते हुए पूर्ण करावें ।

(कार्यवाही श्री सुरेश व्यास, श्री मो० हनीफ शेख, प्र० कार्यपालन यंत्री, श्री एस०पी०आचार्य, प्र०प्रकाश विभाग)

12— वाल पैंटिंग कार्य बहूत धीमी गति से हो रहा है, कई स्थानों पर कार्य शेष है, इसमें तेजी लाई जावे बैठक में चर्चा के दौरान उल्लेखित स्थानों पर वाल पैंटिंग करवाई जावे ।

(कार्यवाही श्री सुरेशचन्द्र व्यास, प्र०कार्यपालन यंत्री, श्री वृजेश कुशवाह, उपयंत्री)

13— कार्यालयीन आदेश क्रमांक 118/सा०प्र०वि०/2022 दिनांक 23-2-2022 में सौपे गये दायित्वों का समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी निर्वहन करें तथा प्रतिदिन आयोजित की जा रही बैठक में पालन प्रतिवेदन सहित उपस्थित रहना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही आदेश में उल्लेखित समस्त अधिकारी/कर्मचारी)

14— समस्त जोन प्रभारी अपने—अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे दृश्यबद्ध मालिकों एवं स्थान की जानकारी संकलित कर प्रस्तुत करे जो पानी का व्यावसायिक उपयोग/विक्रय कर रहे हैं साथ ही ऐसे ठेकेदार अथवा व्यक्तियों की जानकारी भी संकलित करे जो पानी क्रय कर रहे हैं, उक्तानुसार जानकारी दिनांक 26-2-22 की बैठक में प्रस्तुत करें ।

(कार्यवाही— चारों जोन प्रभारी)

समस्त अधिकारी कर्मचारी जिन्हे दायित्व सौपा गया है, वह कार्य नियत समयावधि में पूर्ण करें । उपरोक्तानुसार एवं चर्चा के दौरान दिये गये अन्य निर्देशों का समस्त संबंधित पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

(सोमनाथ झारिया)

आयुक्त

नगर पालिक निगम, रत्लाम

दिनांक 25-2-2022

प०क्र०/ ३०३ /सा०प्र०/2022

प्रतिलिपि :-

- 1— कलेक्टर एवं प्रशासक, नगरपालिक निगम, रत्लाम की ओर सुचनार्थ ।  
2— सर्व संबंधित श्री ————— नगरपालिक निगम, रत्लाम  
की ओर पालनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,

नगरपालिक निगम, रत्लाम